नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...दस्त हेतु ... R10 ... पत्र ... है। ... ...या ... ...लाल ...लेमपुर ... अपीलार्थी ... ...ल ...स०मा...	~~21-8-16~~ पत्रावली पेश हुई/वकील ~~अपील/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनु...~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~समय ... अवकाश पर है/अन्य~~ कार्यों में व्यस्त ~~है/... स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-9-16 को पेश हो। रीडर 5-9-16 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते संशोधित टाइटल पत्रावली दि० 25-10-16 को पेश हो । 25-10-16 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते संशोधित टाइटल पत्रावली दि० 5-11-16 को पेश हो । 5-11-16 पत्रावली पेश ... ~~...~~/ वकील उभयपक्ष उप... R.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अत: पत्रावली दि० 12-11-16 को पेश हो। रीडर 12-11-16 पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित है । वकील उभयपक्ष को सुना गया । वकील उभयपक्ष अपील नामान्तरकरण को स्वीकार करने पर सहमत है । अत: अपील नामान्तरकरण स्वीकार की जाकर नामा० सं० 745 दि० 2-11-13 ग्राम सलेमपुर निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । (मुनिदेव यादव) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
14/2014	30.9.2014	12.11.2016

राजू पुत्र शंकर जाति बैरवा निवासी देसाई स्कूल के पास, संजय कोलोनी, गंगापुर सिटी —अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सलेमपुर पंचायत समिति गंगपुर सिटी
2. बजरंगलाल पुत्र पन्ना जाति रैगर निवसी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल, गुर्जर निवसी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. मुन्नालाल पुत्र रामजीलाल, गुर्जर निवसी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. हंसराज पुत्र रामजीलाल, गुर्जर निवसी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. छुट्टनलाल पुत्र रामजीलाल, गुर्जर निवसी सलेमपुर तहसील गंगापुर सिटी

—रैस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामन्तरकरण संख्य 745 दि0 21.10.2013 ग्राम सलेमपुर

उपस्थित :– श्री कैलाश चन्द गुप्ता, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री उदयनारायण जोनवाल, एडवोकेट, रेस्पो0 नं0 2 की ओर से
श्री नवल बिहारी गुप्ता, एडवोकेट, रेस्पो0 नं0 3 ता 6 की ओरसे

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि अपीलार्थी ने दिनांक 24.5.2013 को ग्राम सलेमपुर में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 275 रकबा 0.80 हैक्टर व ख0नं0 276 रकब 0.75 हैक्टर में से रेस्पो0 नं0 2 बजरंगलाल पुत्र पन्ना रैगर से उसके 1/4 हिस्से की भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं दिनांक 3.10.2013 को पटवारी हलका ने इसका नामन्तरकरण भरकर सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर के समक्ष पेश किया परन्तु सरपंच ने दिनांक 21.10.2013 को यह नोट अंकित करते हुए कि पंचायत कोरम द्वारा आपत्ती आने तथा न्यायालय में उक्त आराजियात पर सुनवाई नियत होने के कारण नामान्तरकरण अस्वीकार किया जाता है, नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 का यह आदेश आर्बिट्रेरी, परवर्स एवं विरूद्ध कानून होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश नहीं होते हुए भी रिकार्ड के विपरीत मनमर्जीपूर्ण विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण अस्वीकार किया है । पंचायत कोरम द्वारा भी इस बारे में कभी कोई आपत्ती नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 21.10.2013

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

को पारित करने के दो दिन बाद ही 23.10.2013 को इस भूमि के बाबत नामान्तरकरण संख्या 749 रहननामा बाबत स्वीकार हुआ है इससे स्पष्ट है कि इस भूमि के बाबत् कोई स्थगन या स्टे नहीं था। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण सं0 745 दिनांक 21.10.2013 ग्राम सलेमपुर निरस्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के स्थान पर वादग्रस्त भूमि ख0नं0 275, 276 बाबत अपीलार्थी के नाम खातेदारी नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे एवं अपीलार्थी के नाम खातेदारी इन्द्राज करमाए जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 लगायत 6 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2016 द्वारा अपील में पक्षकार बनाया गया ।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 745 दिनांक 21.10.2013, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 24.5.2013, फोटोकोपी नामान्तरकरण संख्या 744 दिनांक 7.10.2013, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 पेश की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 24.5.2013 के अनुसार अपीलार्थी ने बजरंगलाल पुत्र पन्ना जाति रैगर निवासी सलेमपुर से उसके 1/4 हिस्से की भूमि ख0नं0 275 व 276 ग्राम सलेमपुर में क्रय की है । पटवारी हलका द्वारा इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्य 745 दिनांक 3.10.2013 को भरा गया एवं दिनांक 4.10.2013 को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तुलना की गई। दिनांक 21.10.2013 को सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर ने यह नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया जिसमें सरपंच ने अंकित किया है कि प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 21.10.2013 को प्रस्तुत हुआ पंचायत कोरम द्वारा आपत्ती आने पर तथा न्यायालय में उक्त आराजियात पर सुनवाई नियत होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार करने के जो कारण अंकित किए गए हैं उनसे सम्बन्धित कोई दस्तावेज यथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश इस नामान्तरकरण के साथ उपलब्ध नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत सलेमपुर ने बिना किसी आधार के अविविधिक तरीके से यह नामान्तरकरण अस्वीकार किया है । फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन

अति. जिला कलेक्टर
जयपुर सिटी

नामान्तरकरण संख्या 745 पर सरपंच द्वारा दिया गया आदेश निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 745 दिनांक 21.10.2013 ग्राम सलेमपुर निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त मामले में पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान दिनांक 23.11.2016 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में उपस्थित हों । पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी